जीवन–पर्यन्त शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२०

डॉ. अनिल कुमार
विभागाध्यक्ष, बी.एड. विभाग आर.एस.एम. (पी.जी.) कालेज, धामपुर (बिजनौर)

सारांश

बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक नागरिक, आर्थिक और जीवन–पर्यन्त शिक्षा के अवसरो की एक नवीन दुनिया को खोल देती है। जो व्यक्ति को निजी और पेशेवराना दोनो ही स्तरो पर आगे बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रुप में काम करती है। जो विकास हेतु किये जा रहे अन्य सभी प्रयासो की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशो के आकडें यह दर्शाते है कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. में उच्चत्तर सह सम्बंध होता है।

कुंजी शब्द : *वैश्विक, बुनयादी शिक्षा, साक्षरता, जीविकोपार्जन, पेशेवर*

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढावा दिए जाने" का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए सम्पुर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवशकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टार्गेट और लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किये जा सके। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीर्व गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे सीखे ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखे।

इस समय आजीवन शिक्षा की धारणा शिक्षा–जगत में चर्चा का विषय है। इनकी चर्चा विश्व शिक्षा आयोग के सन् 1972 में प्रकाशित प्रतिवेदन के बाद जोरों से चल पड़ी है। यूनेस्को ने एडगर फॉर की अध्यक्षता में सात दिवसीय एक आयोग की स्थापना फरवरी सन् 1971 में की। एडगर फॉर फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री थे। इनके अतिरिक्त जो सदस्य थे वे सीरिया, काँगो, रुस, चिली, ईरान और अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। आयोग ने 22 विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों की शिक्षा–प्रणालियों का अध्ययन करने के उपरान्त मई, 1972 में अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर दी। इस प्रतिवेदन का नाम है–'लर्निंग टु बी इसमें शिक्षा की सार्थकता का विश्लेषण किया गया है।

प्रतिवेदन में तीन खण्ड है। प्रथम खण्ड में राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरुप शिक्षा के जनतन्त्रीकरण के संकेत है। द्वितीय खण्ड में शिक्षा की पुनर्रचना के तर्क प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण मानव के विकास की

शिक्षा की ओर संकेत है। तृतीय खण्ड में एक जिज्ञासु ज्ञानार्थी समाज बनाने के लिए आजीवन शिक्षा की अवधारणा विद्यमान है।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा की धारणा नई नहीं है। प्राचीन भारत में जीवन–पर्यन्त शिक्षा की संकल्पना विद्यमान थी। किन्तु आधुनिक अर्थ में विश्व शिक्षा आयोग ने इस धारणा पर विशेष बल दिया है। आयोग के अनुसार, आजीवन शिक्षा के लक्ष्य भविष्य में बड़ी सावधानीपूर्वक निर्धारित किये जाने चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों में वैज्ञानिक मानवतावाद प्रथम लक्ष्य है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे मानव का निर्माण करना है जो वस्तुनिष्ठ दृष्टि से युक्त हो और स्पष्ट तथा वैज्ञानिक चिन्तन कर सके तथा वैज्ञानिक शब्दावली को प्रयुक्त कर सके। दूसरा मूल लक्ष्य है सृजनात्मकता। मानव का स्वभाव है कि वह सुरक्षा की खोज करता है तथा नए अन्वेषण करता है। पहले से स्थायित्व आता है तथा दूसरे से परिवर्तन। सृजनात्मकता से इन दोनों क्षेत्रों में मौलिक आचरण की प्रेरणा मिलती है। तीसरा मूल उद्देश्य है सामाजिक दायित्व का बोध। राजनैतिक एचं सामाजिक व्यवस्था हेतु शिक्षा का यह कार्य है कि वह छात्रों में नागरिक चेतना की वृद्धि करे। आयोग के अनुसार शिक्षा का यह कार्य है कि बालक को इस योग्य बनाए कि भविष्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के गुणों की समाज में स्थापना कर सके। आयोग के अनुसार, आजीवन शिक्षा का चौथा मूल लक्षण है समग्र मानव की शिक्षा। नए युग को नए मनुष्य की आवश्यकता है। आज मनुष्य का ज्ञान और उसके साधन अत्यन्त समृद्ध है। इन पर अधिकार करके मनुष्य का प्रकृति पर नियन्त्रण करना है। आज पूर्ण मानव की कल्पना खण्डित हो रही। वह विखरा हुआ है और तनावों में जी रहा है। शिक्षा द्वरा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है।

आने वाले वर्षों में सारे संसार में आजीवन शिक्षा को शिक्षा–नीतियों का आधार बनाया जाना चाहिए। आजीवन शिक्षा का तात्पर्य है–शिक्षा को बिल्कुल नये ढंग पर आयोजित करना। आजीवन शिक्षा का एक नया आन्दोलन बनाना होगा। बालक को जो शिक्षा स्कूल से मिलती है उसका इतना महत्व नहीं है। जितना इस बात का महत्व है कि उसे वास्तविक ज्ञान क्या मिला है ? शिक्षा की विभिन्न शाखाओं और प्रकारों के मध्य की सीमाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। शिक्षा सम्बन्धी नीति को राष्ट्रीय नीतियों में प्रमुखता मिलनी चाहिए। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का एक ही सम्मिलित सैद्धान्तिक, तकनीकी, व्यावहारिक और शारीरिक स्वरुप होना चाहिए। बालकों को विशेष धन्धों के लिए प्रशिक्षत करना चाहिए और इस कार्य में स्कूल से बाहर की शिक्षा को हाथ बँटाना है। विश्वविद्यालयों का परम्परागत स्वरुप बदलना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का विकास शिक्षा– नीति का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। साक्षरता के लिए भी प्रयास होना चाहिए। भाषा प्रतियोगिता, पुस्तकालय, दृश्य–श्रव्य उपकरण का प्रयोग होना आवश्यक है। शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवीनतम उपकरण और विधियों का प्रयोग हो। शिक्षकों के मध्य विभिन्न श्रेणी के विभाजन को समाप्त कर दिया जाए। शिक्षकों को विशेषज्ञ बनने की अपेक्षा शिक्षाविद् बनना चाहिए। विभिन्न धन्धों और व्यवसायों से लोगों बुलाकर पढ़वाया जाए। शिक्षण को विद्यार्थी के अनुरुप ढाला जाए। शिक्षा में आम जनता के विचारों को भी स्थान मिलना चाहिये।

इस प्रकार आयोग ने आजीवन शिक्षा में शिक्षा के सभी पहलुओं को स्पर्श किया है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी आवश्यकतानुसार इस शिक्षा को ढालना है। आयोग की संस्तुतियाँ शिक्षा में मौलिक परिवर्तन की सूचक है।

मनुष्य सम्पूर्ण जीवन में सीखता रहता है। वह जैविक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी योग्यतानुसार प्रयत्न करता है और सुख, शान्ति, सन्तोष की साँस लेता हुआ इस संसार से विदा होता है। जीवन–पर्यन्त शिक्षा

जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपनी आवश्यकतानुसार अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन और परिवर्तन करता रहता है ताकि जीवन में सफलता प्राप्त करें।

जीवन–पर्यन्त जीवित रहने की सीख है सीखने की सीख ताकि अपने जीवन के दौरान व्यक्ति नया ज्ञान आत्मसात् करने के योग्य बन जाये।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा संसार का एक दर्शन है जिसमें व्यक्ति को रहना है जिससे कि वह भविष्य के उपागमों को निश्चित करने के योग्य बनता है।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा समस्त अनुभव, ज्ञान तथा कौशलों का वह कुल योग है जो सारे जीवन में मनुष्य ग्रहण करता है, प्रयोग करता रहता है जिससे कि अपनी सभी परिस्थितियों के प्रति सही अनुक्रिया करें और भावी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों की प्रायः चर्चा की जाती है–

(1) जीवन–पर्यन्त शिक्षा एक व्यापक शिक्षा है और जीवन में समय–समय पर उपस्थित होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सम्पन्न होती है। इसका मुख्य लक्ष्य मनुष्य की कमियों की पूर्ति है जिससे जीवन सुगमतापूर्वक आगे बढ़ता चले।
(2) मानव को जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है ताकि वह एक स्वस्थ व्यक्ति, एक उत्तरदायी अभिभावक, एक सुयोग्य नागरिक और अन्ततोगत्मा एक कुशल सर्जक बने।
(3) मनुष्यों को जीवन का सुख और सौन्दर्य प्रदान करना है जिससे एक सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और मनुष्य अपनी सभी परिस्थितियों में समायोजन कर सके।
(4) शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्रों में प्रवेश के योग्य बनाना है जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में प्रत्येक मनुष्य का योगदान सम्भव हो सके।
(5) जीवन–पर्यन्त शिक्षा का लक्ष्य यह भी होता है कि मनुष्य आत्म–अधिगम के लिए अभिप्रेरित एवं प्रयत्नशील हो। इसमें मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगा। वैयक्तिकृत ढंग से शिक्षित होने के लिए आत्म–अधिगम की प्रक्रिया लाभदायक होती है और इसलिए जीवन–पर्यन्त शिक्षा जीवन का एक अंग बन जाती है।
(6) जीवन–पर्यन्त शिक्षा का लक्ष्य है लोगों को समाज की बदलती परिस्थितियों के साथ अनुकूलन में योग्य बनाना और नये आविष्कार करने के योग्य बनाना जीवन–पर्यन्त अधिगम जिसमें शिक्षा मात्र जीवन की तैयारी नहीं होती जो शिक्षा पूरी कर लेने पर व्यतीत की जाती है बल्कि वह तो एक सारतत्व रुप से जीवन की सम्पूर्ण अवधि के लिए होती है।
(7) जीवन–पर्यन्त शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सम्पूर्ण जीवन की अवधि के लिए तैयार करना, सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना और जीवन में नये आविष्कार करते रहने की शक्ति प्रदान करना होता है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निश्चित रुप से होता है। अतः जीवन–पर्यन्त शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के जीवन में विकास लाना है तथा व्यक्ति को ऐसी योग्यताएँ एवं क्षमताएँ प्रदान करना है जिससे वह अपने सामाजिक परिवेश में सम्पूर्ण जीवन की अवधि में नवनिर्माण करता रहे।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा जीवन के साथ–साथ चलती है और जीवन की प्रत्येक अवस्था से औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर रुप से जुड़ी होती है। अतः इसकी आवश्यकता महत्ता और उपयोगिता शिक्षा में स्वयंसिद्ध है। फिर भी इसकी आवश्यकता के प्रतिपादन हेतु नीचे कुछ तर्क दिये जा रहे है–

इस शिक्षा का आरम्भ जन्म से होता है और मृत्यु–पर्यन्त यह शिक्षा चलती है। इस दृष्टि से मनुष्य के जैविक, शारीरिक, मूल वृत्यात्मक पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनुष्य यह शिक्षा लेता रहता है जिससे कि वह अपने पर्यावरण में अपने आपको जीवित रहने के योग्य बना सके तथा विकास कर सके। इस तरह की शिक्षा ग्रहण करने में मनुष्य की जैविक योग्यता बढ़ती है। जिस प्रकार व्यक्ति जन्म लेता है उसी नग्न अवस्था में वह अपने पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि केवल प्राकृतिक प्रभाव ही नहीं बल्कि सभ्यता संस्कृति के प्रभाव भी मनुष्य के व्यवहार के लिए धारण करना जरुरी समझा जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक समझ रखता है और सामाजिक समझौते का सन्तुलन रखता है। इसे जानने, समझने और प्रयोग करने के विचाार से जीवन–पर्यन्त शिक्षा आवश्यक है और उपयोगी है जिससे विकास की प्रक्रिया पूरी होती है।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा मनुष्य को नये वातावरण में समायोजन का अवसर प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरुप व्यक्ति ज्ञान, विज्ञान, कौशल तकनीकी, उद्योग और व्यवसाय में प्रगति करता है और व्यक्ति व समाज तथा राष्ट्र आगे कदम उठाता है। प्राचीन रुढ़ियॉ जो विकास में बाधक थी आज उन्हें छोड. दिया गया और नई मान्यताएँ जीवन में स्वीकार की गयी है।

जीवन–पर्यन्त संचित अनुभव, ज्ञान और कौशल से व्यक्ति इतना योग्य, समायोजनीय और सुधार के लिए तैयार होता है कि वह समाज के निर्माण में लगता है। व्यावहारिक रुप से वह समाज की पुनर्रचना करता है एवं उसकी ओर आगे बढ़ता है। यदि जीवन–पर्यन्त शिक्षा का अभाव होता है तो विकास व प्रगति रुक जाती है। अतः जीवन–पर्यन्त शिक्षा सुधार हेतु आवश्यक एवं उपयोगी है।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता है। जीवन में व्यक्ति के सामने पारिवारिक, जातीय, राजनैतिक, सांस्कृतिक (नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक) समस्याएँ होना जरुरी है और प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ लगाव इन समस्याओं से आवश्यक होता है। ऐसी दशा में जीवन–पर्यन्त शिक्षा ही सहायता करती है जिससे समस्याएँ हल होती है और व्यक्ति आगे बढ़ता है तथा प्रगति करता है।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा का स्वरुप व्यापक और विस्तृत होता है, दूसरी ओर सुनिश्चित नहीं भी होता है क्योंकि जीवन के विविध क्षेत्रों में क्या जरुरी पड़ेगा यह कहना कठिन है। जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुरुप समस्या भी खड़ी होती है। जीवन–पर्यन्त शिक्षा का पाठ्यक्रम समयानुकूल और परिस्थितिजन्य समस्याओं के आधार पर बनता है लेकिन इतना निश्चित नहीं है कि जीवन की शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर जीवन–पर्यन्त शिक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है और व्यक्तिगत आवश्यकता तथा अवस्था के अनुसार विषय एवं क्रियाओं को चुना जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा के स्वरुप पर ही उसकी शिक्षा विधि निर्भर करती है। जीवन के विभिन्न क्षणों में आवश्यक यह शिक्षा विभिन्न विधियों से दी जायेगी। यह निश्चित है कि साथ ही साथ जीवन अवस्थाओं के अनुसार भी शिक्षा विधि निर्धारित होगी। छोटी उम्र में खेल, क्रियाविधि, युवावस्था में आत्म शिक्षा विधि, प्रौढ़ावस्था में सहयोगी विधि और वृद्धावस्था में मनन, चिन्तन, स्वाध्याय विधि से ऐसी शिक्षा दी जा सकती है। उद्योग व्यवसाय में लगे लोगों को व्यावहारिक, संक्रियात्मक विधि से जीवन–पर्यन्त शिक्षा दी जा सकती है। आधुनिक समय में गोष्ठी, परिचर्चा, विचार विनिमय, कर्मशाला, वाद–विवाद की विधियों का प्रयोग होता है। ये विधियॉ भी जीवन–पर्यन्त शिक्षा के लिए अपनाई जा सकती है और इनसे लाभ उठाया जा सकता है।

जीवन–पर्यन्त शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर ढंग से दी जा सकती है। जब जिस ढंग से आवश्यकता होती है या होगी व्यक्ति उसे अपनायेगा। शुरु के जीवन में अनिवार्यतः औपचारिक ढंग की शिक्षा रहेगी, बाद में किसी कार्य, व्यवसाय, उद्योग में लग जाने पर औपचारिकेतर ढंग की शिक्षा दी जाने से लाभ होगा और जीवन को सुन्दर, सभ्य, संस्कृत बनाने के लिए समय–समय पर अनौपचारिक ढंग की शिक्षा उपयुक्त होती है और व्यक्ति स्वाभाविक रुप से अपने आप अपनी सुविधा व क्षमता को देखते हुए इसे अपनाता है। अतः जीवन–पर्यन्त शिक्षा देने के विविध ढंग है जो व्यक्ति को समय–परिस्थिति–अवस्था के अनुसार अपनाना पड़ता है।

किशोरावस्था और युवावस्था में आज प्राप्त किया गया ज्ञान व कौशल कला की नई तकनीकी जरुरतों, नये उत्पादन कार्यो और अधिकाधिक जटिल कौशलों के जिए माँग के विषय में अनुपयुक्त हो जाता है।

ज्ञान और कौशल को उच्च श्रेणी में लाने की नितान्त आवश्यकता समय के विभिन्न बिन्दुओं पर होती है। दूसरे शब्दों में, एक विशेष समय बिन्दु पर एक विशिष्ट जनसंख्या को दिये गये ज्ञान और कौशल को सतत् नया बनाने की नरुरत होती है। इस प्रकार से मानवीय क्षमताओं का नवीनीकरण होता है। यह नवीनीकरण जीवन–पर्यन्त शिक्षा के रुप में होता है।

संदर्भ सूची

1.शिक्षा ओर विज्ञान विभाग (2002) लर्निंग फार लाइफः पेपर आन एडल्ट एजूकेशन, डबलिनः स्टेशनरी कार्यालय
2.यूरोपीय समुदायो का आयोगः व्यस्क शिक्षाः सीखने में कभी देर नहीं होती .(2006) 614 फाइनल ब्रसेल्स
3.शर्मा. तारा चन्द (2004) आजीवन सीखने का अर्थ। नई दिल्लीः स्वरुप एडं संस
4.कीथ. डेविस. डब्ल्यू. नार्मन, लॉन्गवर्थ (2013) आजीवन सीखना, आकसन रुटलेज पी. 21.
5.ओ. ग्रेडी, ऐनी (2013) यू. के. में आजीवन सीखनाः शिक्षा अध्ययन के लिए परिचयात्मक मार्गदर्शिका आकसनः रुटलेज
6.International Commission on the development of Education (1972)
7.Faure. Edgar (1972) Learing to be: The world of Education Today and tomorrow : UNESCO publishing
8.Pndey. Ramshakal (2012) Teacher in Emerging Indian Society. Agra: Agarwal Pb.
9.www.mhrd. gov. in
10. www.ugc. nic. In
11. www.ncert. nic. in
12. https://en.unesco.org
13. www.google.com